संख्या-490/2023/1524/22-2-2023-17(454)/2017

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 अगस्त, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टीटू पुत्र श्री बारू निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14561/प्रो0अनु0(2)-249/2023(बैठक 01-05-2023), दिनांक 04.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टीटू पुत्र श्री बारू, सोहजनी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी ने चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.05.2001 की शाम 07:00 बजे योगेन्द्र, पवन, अनीस व इरशाद ईख के खेत की गुड़ाई करके लौट रहे थे कि इसी दौरान बन्दी द्वारा अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टों से फायर कर चारो व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-856/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-04), मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.04.2022 तक 20 वर्ष 10 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 04 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 09.04.2022 तक 49 वर्ष 08 माह 23 दिन है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की आख्या के अनुसार बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा उसकी समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठीसीन अधिकारी द्वारा बंदी के छोड़े जाने पर अनापत्ति व्यक्त की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समिति का अभिमत है कि बन्दी ने चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.05.2001 की शाम 07:00 बजे योगेन्द्र, पवन, अनीस व इरशाद ईख के खेत की गुड़ाई करके लौट रहे थे कि इसी दौरान बन्दी द्वारा अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टों से फायर कर चारो व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इन्कार न किये जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा उसकी समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी टीटू पुत्र श्री बारू को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टीटू (बन्दी संख्या-9764) पुत्र श्री बारू, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-490/2023/1524(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।